न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 31 / 2015 तारीख रजू:–08.04.2015

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2015 / 00153

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. मंदिर मूर्ति रघुनाथ जी विराजमान ग्राम शिवाड़ जरिये हरिराम पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी शिवाड़, पुजारी मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. कैलाशचंद पुत्र दुर्गाशंकर माहुर निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम सालोलिया पुत्र भगवतीलाल जाति ब्राम्हण, निवासी सी–8, टैगोर पब्लिक स्कूल के सामने, पीतल फैक्ट्री के पास, जयपुर।
2. गोपाल सालोलिया पुत्र भगवतीलाल जाति ब्राम्हण, निवासी मिलापनगर, खण्डाका अस्पताल के पास, टोंक रोड, जयपुर।
3. दिनेश पुत्र वैद्य घनश्याम जाति ब्राम्हण, निवासी सांकला कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर।
4. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः:–

वकील प्रार्थीगण :– श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3:– एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांकः–09.02.2026

दावा बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–
   - वादी मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान ग्राम शिवाड़ है। मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, जिसकी सेवा एवं मंदिर का रख रखाव पुजारी हरिराम शर्मा पिछले 20 वर्षो से करता आ रहा है। श्री रघुनाथ जी महाराज के भोग एवं परिधान तथा मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य पुजारी हरिराम शर्मा करता है। वादी संख्या 2 कैलाशचंद माहुर कलाल जाति का है, उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

पूर्वजों ने इस मंदिर का निर्माण कर मूर्ति श्री रघुनाथ जी की स्थापना करवाई थी। मंदिर मूर्ति की ओर से दावा पेश करने का उन्हे अधिकार है।

- खसरा नंबर 5187 रकबा 1.58 है0, खसरा नंबर 5188 रकबा 0.26 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.84 है0 ग्राम शिवाड़ की राजस्व सीमा में स्थित है। गत् वर्षों से तहसील चौथ का बरवाड़ा का भू–सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें साबिक खसरा नंबर 3531 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 3532/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 5187 रकबा 1.58 है0 बनाये हैं।

- साबिक खसरा नंबर 3531 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 3532/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा मंदिर श्री रघुनाथ जी की खातेदारी व खुद काश्त की भूमि थी, जिसका अंकन रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2017–2020 में किया हुआ है। जागीर रिज्यूम होने के पश्चात् माफी मंदिर की खुद काश्त की भूमि को मंदिर के नाम खातेदारी में दर्ज की जानी चाहिये थी, न कि पुजारी के नाम। पुजारी मंदिर की सेवा, पूजा एवं देखभाल के लिये रखा गया था। इसलिये माफी मंदिर की भूमि को रेवेन्यू रिकॉर्ड में पुजारी के नाम खातेदारी दर्ज करना खिलाफ कानून है।

- प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 पिछले 20 वर्षों से जयपुर में ही निवास करते हैं। परिवार सहित जयपुर बस गये हैं। वादी संख्या 02 के समाज के लोगों ने हरिराम शर्मा को पुजारी नियुक्त कर रखा है, लेकिन मंदिर मूर्ति रघुनाथ जी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 5187 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम खातेदारी दर्ज हो जाने से बेजा फायदा उठा रहे हैं, जिससे मंदिर मूर्ति की सेवा पूजा, भोग व रख रखाव में बहुत ज्यादा आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

- वादी मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी वाके ग्राम शिवाड़ को यह हक हासिल है कि खसरा नंबर 5187 रकबा 1.58 है0, जो गत सेटलमेंट के संवत् 2004–2023 में खुद काश्त दर्ज थी, को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवायें व प्रतिवादी संख्या 1 लगयात 3 को जरिये [illegible] करवायें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:17 IST
Reason: SelfAttested

- प्रतिवादी संख्या 1 लग[illegible] पुजारी हैं, और ना ही मंदिर की सेवा पूजा पिछले 20 वर्षों से कर रहे [illegible] इसलिये मंदिर मूर्ति की खुद काश्त भूमि को अपने नाम खातेदारी में कायम रखवाने के अधिकारी नहीं हैं।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ बिनाय दावा दिनांक 10.11.2014 को पैदा हुआ, जब वादी संख्या 1 व 2 ने जयपुर जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से रिकॉर्ड में संशोधन करवाने हेतु आग्रह किया, परन्तु प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति आ गई है। और वे खातेदारी दर्ज होने का नाजायज फायदा लगातार उठा रहे हैं। तथा भविष्य में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका उन्हे कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने संशोधन रिकॉर्ड में करवाने से साफ इंकार कर दिया, जिससे यह दावा करना आवश्यक हुआ।

❖ अतः दावा वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि–

- घोषणा इस अमर फरमाई जावे कि खसरा नंबर 5187 रकबा 1.58 है0 वाके ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा मंदिर श्री रघुनाथ जी विराजमान वाके ग्राम शिवाड़ की खातेदारी की भूमि है।

- प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि खसरा नंबर 5187 रकबा 1.58 है0 वाके ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा की काश्त व्यवस्था में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें।

- प्रतिवादी संख्या 4 को आदेश दिया जावे कि भूमि खसरा नंबर 5187 रकबा 1.58 है0 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी विराजमान वाके ग्राम शिवाड़ के नाम अम्ल कर अलग से खाता तैयार किया जावे।

- खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से दिलवाया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया।

3. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 27.09.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. वकील वादीगण ने साक्ष्य के समर्थन में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं, जो निम्नानुसार हैं–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- **<u>पी0डब्ल्यू–01</u>**:– हरिराम पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी शिवाड़, पुजारी मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
- **<u>पी0डब्ल्यू–02</u>**:– जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाट, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- **<u>पी0डब्ल्यू–03</u>**:– फारूख पुत्र जुम्मा खां, निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

- **<u>प्रदर्श–01</u>**:– जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 वाके ग्राम शिवाड़
- **<u>प्रदर्श–02</u>**:– जमाबंदी संवत् 2016 की प्रमाणित प्रति
- **<u>प्रदर्श–03</u>**:– बंदोबस्त संवत् 2009 से 2020
- **<u>प्रदर्श–04</u>**:– मिलान क्षेत्रफल खसरा नंबर 3531 व 3532/1

5. बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने वादपत्र में अंकित कथनो का दोहरान किया।

6. मैंने वादीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. मिलान क्षेत्रफल **(प्रदर्श–4)** के अनुसार खसरा नंबर 5187 रकबा 1.58 है0, खसरा नंबर 5188 रकबा 0.26 है0 साबिक खसरा नंबर 3531 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नंबर 3532/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा से बने हैं, जो कि पूर्व में मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज, विराजमान ग्राम शिवाड़ के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी, सिकी पुष्टि जमाबंदी संवत् 2016 **(प्रदर्श–02)** से होती है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा कियेगये सेटलमेंट के पश्चात् बनी नवीन जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 में विवादित आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो गया। प्रदर्श 2 से भू–प्रबंध द्वारा की गई गलती की पुष्टि होती है। वकील वादीगण ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नानुसार न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

- **<u>R.R.T. 2014(2) Page No. 1297 Khyali thr. LR's vs. State of Rajasthan Hon'ble Rajasthan High Court Jaipur S.B. Civil Writ Petition No. 2809 of 2010:-</u>**राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82, 136 व 46–रेफरेन्स–मंदिर मूर्ति श्री नृसिंह जी के नाम भूमि दर्ज थी। प्रार्थी का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

रिकॉर्ड में गलत दर्ज किया। प्रार्थीगण केवल मंदिर के पुजारी थे और भूमि के खातेदार होना नहीं माना जा सकता।

8. उक्त न्यायिक दृष्टांत का सम्मान करते हुए उपरोक्त विचेदन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा नंबर 5187 रकबा 1.58 है0 का वादी संख्या 01 को खातेदारी घोषित किया जाता है, एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे विवादित आराजीयात खसरा नंबर 5187 रकबा 1.58 है0 का वादी संख्या 01 मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी विराजमान शिवाड़ के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है के वे खसरा नंबर 5187 रकबा 1.58 है0 के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक 09.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:17 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:17 IST
Reason: SelfAttested

वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** स्थान **चौथ का बरवाड़ा**

1. राधेश्याम सालोलिया पुत्र भगवतीलाल जाति ब्राम्हण, निवासी सी–8, टैगोर पब्लिक स्कूल के सामने, पीतल फैक्ट्री के पास, जयपुर।
2. गोपाल सालोलिया पुत्र भगवतीलाल जाति ब्राम्हण, निवासी मिलापनगर, खण्डाका अस्पताल के पास, टोंक रोड, जयपुर।
3. दिनेश पुत्र वैद्य घनश्याम जाति ब्राम्हण, निवासी सांकला कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर।
4. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

बनाम

1. मंदिर मूर्ति रघुनाथ जी विराजमान ग्राम शिवाड़ जरिये ह[illegible] जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी शिवाड़, पुजारी मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. कैलाशचंद पुत्र दुर्गाशंकर माहुर निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ चौथ का बरवाड़ा ★ सत्यमेव जयते

नम्बर मुकदमा 31 सन् 2015

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0टी0 एक्ट

वादीगण की ओर से **श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट** एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से **एकपक्षीय कार्यवाही** की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 09.02.2026 को **श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि** वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा नंबर 5187 रकबा 1.58 है0 का वादी संख्या 01 को खातेदारी घोषित किया जाता है, एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे विवादित आराजीयात खसरा नंबर 5187 रकबा 1.58 है0 का वादी संख्या 01 मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी विराजमान शिवाड़ के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है के वे खसरा नंबर 5187 रकबा 1.58 है0 के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

इस वाद के खर्चे लेखें **X** रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर **X** प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित **X** द्वारा **X** को दी जाए। यह आज तारीख 09.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड	00	00

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)